



Neutral Citation No. - 2026:AHC:63932

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -
2974/2026

अनुजआवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रत्यर्थी

आवेदक के अधिवक्ता: पंकज कुमार मिश्रा

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 32/2026, धारा 108, 352 बी.एन.एस., थाना- कोतवाली, जनपद इटावा में विचारण के लंबित रहने के दौरान अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है और वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल सह-अभियुक्त प्रबल के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं, जिसे इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 4165/2026 में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक ने मृतक को कभी भी आत्महत्या के लिए नहीं उकसाया। यहाँ तक कि पीड़िता की सहेली सेजल कुशवाहा के बयान में भी आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया है। काफी देरी से, मुखबिर के दूसरे बयान में आवेदक के नाम का उल्लेख किया गया है, हालांकि, आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है और दूसरे बयान में एक सरसरी टिप्पणी की गई है कि आवेदक भी मृतक को परेशान करने में शामिल था। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि हालांकि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है, लेकिन उसका नाम मृतक के पिता के दूसरे बयान में सामने आया है। हालांकि, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया है कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है।
6. अभिलेख के अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि मृतक का विवाह सह-अभियुक्त प्रबल के साथ तय हुआ था। प्रथम सूचना रिपोर्ट और धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत मुखबिर के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बयान में आवेदक का नाम नहीं आता है। आवेदक का नाम मुखबिर के दूसरे बयान में शामिल किया गया है और उस बयान में भी आवेदक के ऊपर कोई विशिष्ट आरोप या कोई प्रत्यक्ष कार्य आरोपित नहीं किया गया है। एक साक्षी सेजल कुशवाहा का बयान, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी मृत्यु से ठीक पहले मोबाइल पर मृतक से बात की थी, इंगित करता है कि पीड़िता का पिता शराबी था और परिवार में निरंतर अशांति के कारण पीड़िता परेशान थी। उसने यह भी बताया है कि जिस समय उसने मृतक से बात की थी, वह काफी दुखी थी।

7. ऊपर चर्चा किए गए संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों से, इस न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय में, आवेदक के विरुद्ध धारा 108 बी.एन.एस. के तहत अपराध नहीं बनता है।
8. उपरोक्त के आलोक में, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत देना उचित समझता हूँ।
9. उपरोक्त के आलोक में, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
10. आवेदक- अनुज की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे तत्काल उपरोक्त मुकदमा अपराध में एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोष के अधीन प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा: -

- i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा नहीं;
11. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन का निर्णय करने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुणों पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

26 मार्च, 2026

ए. पांडे

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"